न्यायालय भू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No : 2022/270
दायरा तिथि : 15.07.2022
फैसला तिथि : 21-12-22

प्रार्थी:–
वेनसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी शिवतलाव तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–

1. श्री नारायणसिंह राजपुरोहित.............................. अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री ललित कुमार .... नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 21-12-22

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम शिवतलाव तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा 760, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/ 1404, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 में **दर्ज प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम वनेसिंह पुत्र केसरसिह/वेना पुत्र केसा** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम वेनसिंह पुत्र केशरसिंह शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम **वनेसिंह पुत्र केसरसिह/वेना पुत्र केसा** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक व मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **वेनसिंह पुत्र केशरसिंह** दर्ज होना स्वीकार किया तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज **प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम वनेसिंह पुत्र केसरसिह/वेना पुत्र केसा** के स्थान पर **वेनसिंह पुत्र केशरसिंह** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नारायणसिह राजपुरोहित ने बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **वेनसिंह पुत्र केशरसिंह** है, जिसकी पुष्टि मे प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक व मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम **वनेसिंह पुत्र केसरसिह/वेना पुत्र केसा** दर्ज है, जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम शिवतलाव तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 760, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/ 1404, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 में **दर्ज प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम वनेसिंह पुत्र केसरसिह/वेना पुत्र केसा** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम वेनसिंह पुत्र केशरसिंह शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेकर्ड मे दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, शिवतलाव को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू० अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 21-12-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू० अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner